(346) (222) निग0-3924/2018/रीवा/ भू-रा0

.न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

20रु. Rs.20 INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

कालू तनय ब्रदी प्रसाद निवासी ग्राम डीह, तह0 त्योंथर जिला रीवा (म0प्र0) ——निगरानीकर्ता /आवेदक

बनाम

1—देवनाथ पिता सुखदेव प्रसाद

2—देवमणि कुम्हार तनय सुखदेव

दोनों निवासी ग्राम डीह, तह0 त्योंथर जिला रीवा (म0प्र0)

3— शासन म0प्र0 —— गैर निग0कर्ता /अना0गण

आवेदक की ओर से ... प्रस्तुत किया गया 27-6-18

राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्व आदेश प्र0क0 216 अ 12/निगरानी/2006—07 आदेश दिनांक 26/02/2018

मुताविक धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता सन् 1959ई0।

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः—

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकिया के विरूद्व है ।

2— यह कि गैर निग0कर्ता क0 1, 2 ने जिनंका भूमि नं0 1770/2 रकवा 3.00 ए0 में स्वत्व व कब्जा था, अपने उक्त भूमि का बिना निगरानीकर्ता के सूचना व सम्मन के 3.50 ए0 रकवे का गलत नक्शा तर्मीम करवा लिया तथा उस गलत नक्शा तर्मीम के आधार पर बिना निगरानीकर्ता उसके भाई सुखचैन को पक्षकार बनाये 3.50 ए0 रकवे का सीमांकन अपने पक्ष में कराने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो प्रकरण कमांक 8 अ 12/2005—06 में दर्ज हुआ तथा गैर निग0कर्ता के पक्ष में उनके स्वत्व व कब्जे वाली भूमि 3.00 ए0 होते हुए 3.50 ए0 का सीमांकन कर दिया गया, जिसकी

222

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक निग/ 3924 रीवा/18 जिला– रीवा

काल्लू विरूद्ध देवनाथ प्रसाद वगैरा

	(2)	(3)
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री दिनेश प्रसाद पटेल अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ ~~अपर कलेक्टर~~, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 216/अ-12/निग/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 26-2-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 5-3-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	